सी हैं?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) सिंचाई नहरों तथा बांधों के सम्बन्ध में लघु / छोटी जल-विद्युत की संभावना के विकास हेतु विश्व बैंक की ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव के सम्बन्ध में पत्राचार किया जा रहा है। अभी इस प्रस्ताव का मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा किया जाना है।

(ख) राज्य सरकार ने ऐसी किसी लघु जल-विद्युत परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया है जो प्रस्तावित सहायता के लिए योग्य हो।

देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाना

3479. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1992 के दि इकोनोमिक टाइम्स में "पावर प्लान्ट लोड फैक्टर सेट टू बिकम ओप्टीमल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में बिजली की वर्तमान कमी इसके अपव्यय को रोककर पूरी की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में सम्बद्ध तथ्य एकत्र किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विद्युत के अपव्यय को रोकना, ऊर्जा की आवश्यकता एवं सप्लाई के बीच अन्तर को कम करने हेतु किए जाने वाले उपायों में से एक उपाय है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत सम्बन्धी सम्भाव्यता का स्तर भिन्न-भिन्न है जोकि परिवहन क्षेत्र के मामले में 20-22%, औद्योगिक क्षेत्र में 20-25%, कृषि क्षेत्र में 30-35% और घरेलु एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में लगभग 15-20% है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व एवं इसकी आवश्यकता के बारे में विभिन्न क्षेत्रों के टारगेट ग्रुप्स को शिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं—निदर्शन परियोजनाएं कार्यान्वित किया जाना, ऊर्जा सम्बन्धी लेखा-परीक्षा की व्यवस्था किया जाना, जन-जागरण अभियान का आयोजन किया जाना।

बिजली के पारेषण और वितरण में नुकसान को कम करना

3480. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बिजली के पारेषण और वितरण में 23 प्रतिशत नुकसान होता है जबकि जापान के मामले में यह केवल 3 प्रतिशत है; और

(ख) क्या सरकार ने जापान द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए उपायों की जानकारी प्राप्त की है; यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) हमारे देश में पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा 22 से 23 प्रतिशत तक है। जापान सहित अन्य अनेक देशों में इस प्रकार की हानियों की अपेक्षा हानियों की यह मात्रा काफी अधिक है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अपने सामान्य क्रियाकलापों के एक अंग के रूप में अन्य देशों में पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए किए गए उपायों का विश्लेषण भी करता है। विशेष रूप से मात्र जापान के बारे में ही इस संबंध में अध्ययन कार्य नहीं किए गए हैं। तथापि कुछ अन्य देश जिनमें भारत के समान वितरण प्रणाली है इनके द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि उपचारात्मक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा की चोरी की रोकथाम, अन्तर्वती वोल्टता का निवारण, प्रारंभिक वितरण वोल्टता के रूप में उच्च वोल्टता स्तर को अपनाना और कम्प्यूटरीकृत मीटरिंग प्रणाली शामिल हैं।

Danish aid lying unutilised

3481. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the news item in "The Observer" dated the 6th March, 1992 captioned 40 million Danish aid unutilised;

(b) what are the reasons for not utilising the Danish aid in the last three years for development of non-conventional energy;

(c) whether similar foreign assistacne

offered by various countries is lying unutilised with Government; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The contention that approx. US $ 30-40 million for the wind power sector in India sanctioned by Danish International Development Agency (DANIDA) is lying unutilised is not correct.

An agreement was signed between Deptt. of Economic Affairs, Government of India and DANIDA on 22.12.1987 for Danish Aid grant assistance of Danish Kroner DKK 165 million (later enhanced to DKK 180 million) for supply of wind turbines, and erection, commissioning and monitoring of three wind farm projects, viz. Lamba (10 MW) in Gujarat; Kayathar (6 MW) and Muppandal (4 MW) in Tamil Nadu. The projects were commissioned as per schedule and handed over to the respective nodal agencies/electricity boards on 31.05.90. The aid grant assistance has been fully utilised. There is no further Danish assistance for the wind power sector in India, which is lying unutilised.

Under another Agreement Signed in June, 1987 for a Danish grant of DKK 21.3 million for a Non-Conventional Energy Pilot Project, six wind turbines were erected and handed over to the respective State agencies/electricity boards. The project has been completed and the grants fully utilised. Danish assistance was also offered for the installation of 10 Photovoltaic (PV) Water Pumping Systems. All the Systems have been installed and the assistance has been fully utilised.

(c) and (d) No, Sir.

Development of Mini-Hydel Power Projects in A.P.

3482. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the REC has identified many locations in Andhra Pradesh for development of numerous mini-hydel power projects;

(b) whether Government have given any assistance to Andhra Pradesh to develop mini-hydel power schemes; and

(c) what are the details of proposals in this regard from Andhra Pradesh Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) The REC has not identified any mini hydel project in A.P. The Corporation is financing only small hydel projects above 3 M.W.

(b) and (c) 4 mini hydel schemes of the Andhra Pradesh State Electricity Board has been sanctioned by the Government as per details given below:—

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Scheme	Capacity (in KW)	Total Cost	DNES grant-in-aid	Funds released till 18.3.92
1.	MHS at 9M-7F-385 ft. at D-83 of Kakateeya on Sriram Sagar.	2 × 500	225.00	110	100
2.	MHS at 14M-7F-550 ft. at D-83 of Kakateeya on Sriram Sagar.	2 × 500	225.00	110	105